भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

403

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

~~न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला मन्दसौर~~

प्र.क्र. /2013 निगरानी ~~निगरानी प्रकरण~~

R. 1211-I/13

ओमप्रकाश पिता प्रभुलाल जाति ब्राह्मण

निवासी तलावपिपलिया तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर ------ आवेदक

विरूद्ध

01-देवीलाल पिता पोखरलाल जाति सुथार

निवासी तलावपिपलिया तह0 मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर

02-म0प्र0 शासन ------अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं0 प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/2010-11 न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा संजीत जिला मन्दसौर (देवीलाल वि0 शासन) सीमांकन आदेश व पंचनामा दिनांक 22-06-2011 के आदेश से असन्तुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थनापत्र निम्नवत प्रस्तुत है:-

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि. 26-3-13 को प्रस्तुत

रीडर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1) यहकि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष कृषिभूमि सर्वे नं0 417/1 व 416/2 का सीमांकन करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर से सीमांकन किया गया जो त्रुटिपूर्ण तरीके से अनावेदक की भूमि आवेदक की भूमि सर्वे नं0 418 की भूमि में 2 फीट जमीन बिना नपती किये निकाल दी गई । इसी आदेश व पंचनामा से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(2) यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधी विधान के विपरित होकर निरस्त किया जाने योग्य है ।

(3) यहकि राजस्व निरीक्षक को स्थाई चिन्ह अभिनिश्चित करना चाहिये व फिल्डबुक बनाना चाहिये, परन्तु राजस्व निरीक्षक ने ये सारी कार्यवाही किये बिना ही भूमि का सीमांकन त्रुटिपूर्ण तरीके से कर 2 फीट जमीन आवेदक

मुकेश भार्गव
26-3-13 एडवोकेट
ग्वालियर

XXIX(a)-BR(H)-11

403

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1211-एक/13 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	